न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या – 2022/15

1. बृजमोहन आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323603
2. शंकरलाल आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323603
3. प्रकाश आत्मज स्व० श्री मोजीराम जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323603

– अपीलान्टगण

बनाम

1. रामफूल आत्मज स्व० श्री रामकुंवार जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी पिन कोड नम्बर– 323603
2. तेजमल आत्मज स्व० श्री रामकुवार जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी पिन कोड नम्बर– 323603
3. सूरजमल आत्मज स्व० श्री रामकुंवार जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी पिन कोड नम्बर– 323603
4. श्रीमती शांति बाई पुत्री स्व० श्री रामकुंवार जी पत्नी श्री गिरिराज जी जाति मीणा निवासी हाल ग्राम सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी पिन कोड नम्बर 323802
5. श्रीमती लाड बाई पुत्री स्व० श्री रामकुंवार जी पत्नी श्री मनफूल जी जाति मीणा निवासी रेल्वे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर 323603
6. श्रीमती लाली बाई पुत्री स्व० श्री रामकुंवार जी पत्नी श्री किशनगोपाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम टोकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर 323614
7. श्रीमती द्वारका बाई पुत्री स्व० श्री मौजीराम जी पत्नी श्री लेख राज जी जाति मीणा निवासी ग्राम पीपर तहसील लाखेरी जिला बून्दी पिन कोड नम्बर 323616
8. छीतर आत्मज श्री जगन्नाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम धानुगांव तहसील नैनवां जला बून्दी पिनकोड नम्बर–323801
9. श्रीमती सौना बाई पुत्री श्री छीतर जी आत्मज श्री हंसराज जी जाति मीणा निवासी ग्राम कोला हेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी पिनकोड नम्बर 323802
10. श्रीमती चांद बाई पुत्री श्री छीतर जी, पत्नी श्री घनश्याम जी जाति मीणा निवासी ग्राम चाणदा खुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पिनकोड नम्बर–323614
11. रामराज आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323603
12. मुरली आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323603

13. रमेश आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी हाल कृष्णा विहार, माल की ढाणी, सागानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर पिन कोड नम्बर– 302029
14. देवी शंकर आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323603
15. प्रहलादी पुत्री स्व० श्री प्रभुलाल जी पत्नी श्री श्योजी लाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम खजूरी तहसील नैनवां जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323616
16. प्रकाशी पुत्री स्व० श्री प्रभुलाल जी पत्नी श्री गोपीलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम गाड़रिया तहसील नैनवा जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323802
17. श्रीमती सोसर बाई पत्नी स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323603
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ जिला कोटा

– रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सुरेश वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 3 लगायत 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 29.09.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 19/दावा/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्टगण 1 लगायत 6 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रार्थना बाबत् अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या नई 432 पुरानी 428 की खसरा संख्या 3714 रकबा 001 है० किस्म गै० मु० चाह, खसरा संख्या 3715 रकबा 0.27 है0 किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 3715/4344 रकबा 0.64 है0 किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 3716/2 रकबा 080 है० किस्म बारानी द्वितीय कुल 4 किता खसरा नम्बरान की कुल रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम लाखेरी पटवार क्षेत्र लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0) में स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम लगायत 14 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण की माता सहखातेदार भूरी बाई का देहान्त हो चुका है एवं श्रीमती भूरी बाई के हिस्से की कृषि भूमि उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 एवं 2 के पिता श्री मौजीराम एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 की माता श्रीमती राजाबाई में व्यस्त हो चुकी है। सहखातेदार मौजीराम का देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादी क्रम 1 एवं 2 स्वर्गीय श्री मौजीराम के वारिसान है जिनके नाम का फौती नामान्तरकरण राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जा चुका है। इसी प्रकार सहखातेदार

राजाबाई का भी देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 स्वर्गीय राजाबाई के वारिसान है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में श्रीमती भूरी बाई के देहावसान के पश्चात वादीगण का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 2/3 भाग में से 6/8 अर्थात कुल कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा बनता है। एवं वादीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से पर बाह्य रजामन्दी से काबिज होकर कृषि भूमि उपयोग, उपभोग कर रहे हैं। प्रतिवादी क्रम लगायत 14 आये दिन वादीगण को परेशान करते है एवं उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण के हिस्से पर जबरन दखलंदाजी करते है प्रतिवादी क्रम 1 आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो ऐन केन प्रकारेण वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर नाजायज रूप से ताकत के बल पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादी क्रम इसके लिये आये दिन वादीगण की कृषि भूमि पर आता है एवं वादीगण को धमकाता है। दिनांक 20.03.2017 को भी प्रतिवादी क्रम 1 अपने साथियों के साथ वादीगण की कृषि भूमि पर आया एवं वादीगण को जबरन बेदखल करने एवं वादीगण के हिस्से पर नाजायज कब्जा करने की धमकी दी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि शामिलाती होने के कारण संयुक्त खाता होने से लगान –आदि जमा कराने तथा बैंक आदि वित्तिय संगठनों से भी संव्यवहार करने में परेशानी उत्पन्न होती है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा कर खाता अलग अलग करने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे एवं झूठे आश्वासन देकर वादीगण को टालते रहे। वादीगण भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिये कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा करवाना चाहते है एवं अलग अलग खाते खुलवाकर भविष्य के विवाद से बचना चाहते है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि में से अपने अपने हिस्से का अलग खाता खुलवाकर अपने अपने हिस्से की कृषि को अकेले उपयोग में ले एवं प्रतिवादी क्रम लगायत 14 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवायें। राजस्थान राज्य को भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादकारण प्रतिवादीगण द्वारा आये दिन वादीगण के हिस्से में दखलदाजी करने एवं दिनांक 20.03.2017 को प्रतिवादी क्रम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के हिस्से पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर एवं प्रतिवादीगण से कई बार बटवारा हेतु कहने एवं उनके इन्कार करने पर माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो तब से निरन्तर जारी है। विषयक कृषि भूमि ग्राम लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0) में स्थित है अतः श्रीमान को वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद कारण उत्पन्न होने से वाद अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीगण के हिस्से को अलग अलग खाते में दर्ज किया जाकर जो भूमि वादीगण को बंटवारे में प्राप्त हो उस पर अकेले वादीगण को राजस्व रेकार्ड में खातेदार अंकित किया जावे एवं उस पर वादीगण का कब्जा सुनिश्चित किया जावे। वादीगण के हिस्से व कब्जे में आयी कृषि भूमि पर भविष्य में कभी भी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 14 दखलंदाजी ना करें एवं नाजायज रूप से जबरन कब्जा करने का प्रयास नहीं करे ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से कराये इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा

से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 14 को पाबन्द फरमाया जावे। खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवाई जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.09.2018 को वादी रेस्पोडेन्टगण 1 लगायत 6 का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के विभाजन की निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2018 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रतिवादीगण अपीलान्टान को व्यक्तिगत रूप से सूचना दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिती में पारित किया है। प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 2 शंकरलाल को निर्णय व डिक्री जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3–1–2022 को पटवारी हल्का द्वारा निर्णय व डिक्री जेर अपील के बाबत बतलाने पर हुई। दिनांक 3–1–2022 को ही अपीलान्ट नं० 2 शंकरलाल ने दीगर अपीलान्टान को निर्णय व डिक्री जेर अपील के बाबत बतलाया। दिनांक 3–1–2022 से पूर्व प्रतिवादीगण अपीलान्टान को निर्णय व डिक्री जेर अपील की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकार निष्प्रय व डिक्री जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी होने पर प्रतिवादीगण अपीलान्टान ने निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये मालूमात कर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 5–1–2022 को प्रार्थना 14/81.पत्र प्रस्तुत किया जो प्रतिवादीगण अपीलान्टान को दिनांक 6–1–2022 को प्राप्त हुई । निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील के खर्चे व वकील साहब की फीस हेतु रकम का इंतजाम कर अपीलान्टान अविलम्ब यह अपील सम्माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है निर्णय व डिक्री जर अपील की सर्व प्रथम जानकारी की तारीख से निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने

के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अन्त में दिनांक 16–8–2018 से 3–1–2022 जानकारी के दिन व नकल के दिन व वकील की फीस का इंतजाम करने के दिन को कन्डोन करते हुये अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2018 कानून व तथ्यो के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पो० नं० 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया कर वादीगण रेस्पो० नं० 1 ता 6 के पक्ष में प्रतिवादीगण अपीलान्टान एंव दीगर प्रतिवादीगण रेस्पो० के विरूद्ध इस आशय की प्राथमिक डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है कि जमाबन्दी सम्वत् 2072 लगायत 2075 खाता सं0 432 में वर्णित खसरा नम्बर 3714 की 0–01 हेक्टर, खसरा नम्बर 3715 की 0–27 हेक्टर, खसरा नम्बर 3715/4344 की 0–64 हेक्टर, खसरा नम्बर 3716 की 0–60 हेक्टर जुमला 4 किता की 1–52 हेक्टर कृषि आराजियात वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में वादीगण रेस्पो० नम्बर 1 लगायत 6 के दर्ज हिस्से को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा तथा राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिती में रास्ते का निर्धारण करते हुये वादीगण के हिस्से को नक्शा ट्रेस में अलग रंग से दर्शाते हुये प्राथमिक बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 31–10–2018 से पूर्व न्यायालय में पेश करने का निर्णय एवं डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार इन्द्रगढ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट तलब फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादीगण अपीलान्टान नम्बर 1 व 2 क्रमशः बृजमोहन व शंकरलाल को वाद की व्यक्तिगत रूप से सूचना दिये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रतिवादीगण अपीलान्टान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित कोई सम्मान न तो प्रतिवादीगण अपीलान्टान को प्राप्त हुआ और न ही प्रतिवादीगण अपीलान्टान ने किसी सम्मन को लेने से इन्कार किया। प्रतिवादीगण अपीलान्टान ने उनके मकान पर भी कोई सम्मन चस्पा किया हुआ नहीं देखा। दिनांक 3–5–17 को अधीनस्थ न्यायालय ने सम्मन की तामील होने बाबत कोई आदेश भी नहीं दिया था। इसके उपरान्त दिनांक 14–12–2017 के अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्टान के उपस्थित नहीं होने, अन्डर टेकिंग देने वाले वकील साहब के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्टान पर सम्मन की तामील होना मान कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्टान को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अपनी और से शहादत प्रस्तुत करने का वादीगण रेस्पो0 से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी नं0 6 (रेस्पो0 नं0 11) रामराज एवम् प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 व 2 के मध्य गत 8–10 वर्षो

से बोलचाल नहीं है, आना जाना नहीं है। प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 व 2 एवम् प्रतिवादी नं0 6 रामराज पृथक पृथक निवास करते है। प्रतिवादी नं0 6 रामराज को प्रतिवादीगण अपीलान्टान ने न तो अपना मुख्तार आम नियुक्त किया था और न ही प्रतिवादी नं0 6 को प्रतिवादी अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 ने उनकी ओर से न्यायालय का कोई सम्मन लेने के लिये अधिकृत किया था। प्रतिवादी नं0 6 रामराज को प्रतिवादी नं0 9–10 क्रमशः बृज मोहन, शंकरलाल का सम्मन लेने का कोई अधिकार भी नहीं दिया था। इसके उपरान्त भी प्रतिवादी नं0 6 द्वारा प्रतिवादीगण अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 क्रमश बृजमोहन व शंकरलाल का सर्वथा गलत एंव गैर कानूनी रूप से सम्मन लेने के आधार पर प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 व 2 के विरूद्ध 5 तारीखों के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। इस तथ्य की जानकारी प्रतिवादी अपीलान्ट को आदेशिका की एंव सम्मन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई । प्रतिवादीगण अपीलान्टान नं० व 2 ने श्री मोहम्मद शरीफ एडवोकेट से अपनी ओर से पैरवी करने के लिये न तो कभी सम्पर्क किया था और न ही उन्हे मुकदमें की पैरवी हेतु वकील नियुक्त किया । प्रतिवादीगण अपीलान्टान ने उन्हे उक्त मुकदमें में पैरवी करने के लिये अधिकृत भी नहीं किया था। प्रतिवादगण अपीलान्टान नम्बर 1 व 2 श्री मोहम्मद शरीफ एडवोकेट से न तो परिचित है और न ही उन्हे जानते है। प्रतिवादीगण अपीलान्टान नम्बर 1 व 2 ने उन्हे न्यायालय में उनकी ओर से उपस्थित होने के लिये, न तो उन्हें पैरवी करने के लिये वकील नियुक्त कर अधिकृत किया था और न ही उन्हे प्रतिवादीगण अपीलान्ट नं० 1 व 2 की और से पैरवी करने के लिये अन्डर टेकिंग देने के लिये निर्देशित किया था। श्री मोहम्मद शरीफ एडवोकेट के किसी भी कृत्य से अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 पाबन्द नहीं है। प्रतिवादी अपीलान्ट नम्बर 3 प्रकाश को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ तथा प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 3 प्रकाश के पास तामील कुनिन्दा कभी भी कोई सम्मन लेकर भी नहीं आया था तथा प्रतिवादी अपीलान्ट नम्बर 3 प्रकाश ने किसी सम्मन पर अपने कोई हस्ताक्षर भी नहीं किये थे। किस व्यक्ति ने प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 3 प्रकाश को तामील कुनिन्दा के समक्ष शिनाख्त किया था। उसका भी सम्मन पर उल्लेख नहीं है ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण रेस्पो० नं० 1 लगायत 6 ने प्रोसेस सर्वर से मिल कर फर्जकारी कर किसी गलत व्यक्ति को प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 3 प्रकाश का सम्मन दे दिया होगा। प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 3 प्रकाश श्री मोहम्मद शरीफ एडवोकेट को पहचानता नहीं है. उनसे परिचित भी नहीं है । प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 3 प्रकाश से श्री मोहम्मद शरीफ एडवोकेट से उसकी ओर से पैरवी करने के लिये, कभी भी सम्पर्क नहीं किया था। प्रतिवादी अपीलान्ट न0 3 ने उक्त वकील साहब श्री मोहम्मद शरीफ को उसकी ओर से पैरवी करने के लिये न तो अभिभाषक नियुक्त किया था ओर न ही उक्त प्रकरण में प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 3 प्रकाश की ओर से पैरवी करने के लिये अधिकृत किया था श्री मोहम्मद शरीफ एडवोकेट को पैरवी हेतु अन्डर टेकिंग देने के लिये तिवादी अपीलान्ट नं० 3 ने निर्देशित नहीं किया था। श्री मोहम्मद शरीफ एडवोकेट के किसी भी कृत्य से प्रतिवादी अपीलान्ट नम्बर 3 पाबन्द नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित उक्त बाद के सम्मन की प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 3 पर विधिवत रूप से कोई तामील नहीं हुई थी। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट नं0

3 पर सम्मन की तामील होना मान कर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 3 को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही, अपनी और से शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही, वादीगण रेस्पो० नं० 1 ता 6 से एवं उनके गवाहान से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 3 के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने स निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण रेस्पो०, प्रतिवादीगण रेस्पो० नं० 1 लगायत 6 एंवम् दीगर प्रतिवादीगण के पूर्वज सांवला जी थे उनके तीन पुत्र थे तीनों की मृत्यु हो चुकी है। राम कुंवार 2/3 हिस्से के एंव मोहनलाल 1/3 हिस्से के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में सहकृषक दर्ज थे। सांवला जी के तीसरे पुत्र मोहनलाल की निःसन्तान मृत्यु हुई थी। मोहनलाल के 1/3 हिस्से की भूमि मोहनलाल द्वारा उसके जीवनकाल में रामकुवार के पक्ष में हक त्याग कर देने से रामकुंवार के खाते दर्ज हुई थी। इस कारण राम कुंवार का उपरोक्त आराजी में 2/3 हिस्सा एंव प्रभुलाल का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया था। मूल पुरूष सांवला जी एंव उनके पुत्र रामकुंवार मोहनलाल व प्रभुलाल तथा उनके वारिसान जाति से मीणा है। पक्षकारान के पूर्वज एंव पक्षकारान माल की झोंपडिया तहसील लाखेरी हाल तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान के मूल निवासी है। राजस्थान में मीणा जाति एक अनुसूचित जन जाति है। सांवला जी एंव उनके पुत्र रामकुंवार, मोहनलाल व प्रभुलाल की मृत्यु हो चुकी है। वे सब जाति से मीणा थे अपीलान्ट व रेस्पो0 पक्षकारान भी मीणा जाति के सदस्य है। अनुसूचित जन जाति मीणा जाति के व्यक्तियों एंव सदस्यों पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है उन पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध में ओल्ड हिन्दू ला के प्रावधान लागू होते है। ओल्ड हिन्दू ला के अनुसार पुत्र की मौजूदगी में पुत्री को हक विरासत प्राप्त नही होता है। इस कारण में वादीगण नम्बर 3 लगायत 6 क्रमशः शांति बाई, लाड बाई व लाली बाई सहकृषक रामकुंवार की पुत्रियां है एवम् सहकृषक रामकुंवार की पुत्री राजा बाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी नं0 3 लगायत 6 छीतरलाल पुत्र सोना बाई पुत्री व चाद बाई पुत्री है इसी प्रकार प्रभुलाल सहकृषक की पुत्रिया प्रहलादी, प्रकाशी एंव सोसर बाई बतौर प्रतिवादी न0 13, 14 व 15 पक्षकार बनाया गया है। अधीनथ न्यायालय ने सहकृषक रामकुंवार मृतक एंव सह– कृषक प्रभुलाल की उपरोक्त पुत्रियां का भी हिस्सा निर्धारित कर निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करनें कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वादीगण नम्बर 4 लगायत 6 एवं प्रतिवादी नं0 3 लगायत 6 एंव प्रतिवादी नं0 13 लगायत 15 का वाद विषयक आराजियात में कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा हित निहित नहीं है तथा कब्जा नहीं है गलत एंव विधि विरूद्ध रूप से नामान्तरकरण तस्दीक होने एंव जमाबन्दी के गलत त्रुटि पूर्ण एवं अवैध इन्द्राज के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हक विरासत प्राप्त नहीं होता है तथा कानूनन कोई हिस्सा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गलत एंवम् गैर कानूनी रूप से वादीगण नम्बर 4 लगायत 6 एवम् प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 5 एंव प्रतिवादी नं0 12 लगायत 15 का

हिस्सा निर्धारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि सहखातेदार रामकुंवार की पुत्री राजाबाई की मृत्यु हो चुकी है। राजाबाई की पुत्रियां सोना बाई व चांद बाई एव पति छीतरलाल को बतौर प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 5 पक्षकार बनाया गया है। राजा बाई पुत्री स्व०रामकुंवार का उपरोक्त भूमि में कानूनन कोई हक एवं अधिकार नहीं था. हित निहित नहीं था तथा कब्जा नहीं था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण इन्द्राजात के आधार पर मृतक राजा बाई के पति छीतरलाल, सोना बाई व चांद बाई पुत्रियों का हिस्सा सर्वथा गैर कानूनी रूप से निर्धारित कर उनके पक्ष में विभाजन आराजी का निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिकी जेर अपील प्रतिवादीगण अपीलान्टान को व्यक्तिगत रूप से सूचना दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिती में पारित किया है। प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 2 शंकरलाल को निर्णय व डिक्री जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3–1–22 को पटवारी हल्का द्वारा निर्णय व डिक्री जेर अपील के बाबत बतलाने पर हुई। दिनांक 3–1–2022 को ही अपीलान्ट नं० 2 शंकरलाल ने दीगर अपीलान्टान को निर्णय व डिक्री जेर अपील के बाबत बतलाया। दिनांक 3–1–2022 से पूर्व प्रतिवादीगण अपीलान्टान को निर्णय व डिक्री जेर अपील की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकार निग्रय व डिक्री जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी होने पर प्रतिवादीगण अपीलान्टान ने निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये मालूमात कर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 5–1–22 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रतिवादीगण अपीलान्टान को दिनांक 6–1–2022 को प्राप्त हुई । निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील के खर्चे व वकील साहब की फीस हेतु रकम का इंतजाम कर अपीलान्टान अविलम्ब यह अपील सम्माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। निर्णय व डिक्री जर अपील की सर्व प्रथम जानकारी की तारीख से निर्णय व डिक्री जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वं डिक्री अवैध, त्रुटि पूर्ण एंव विधि विरुद्ध होने से मियाद का बिन्दू सुसंगत नहीं है। प्रतिवादीगण अपीलान्टान का प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दू निर्णय व डिक्री जेर अपील की पालना को स्थगित किये जाने में है। अतः निर्णय व डिक्री जेर अपील की पालना को स्थगित किया जाना न्यायोचित व विधि संगत है। अपीलान्टान द्वारा निर्णय व डिक्री जेर अपील के विरूद्ध पूर्व में सम्माननीय न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त फरमाया जाकर वादीगण रेस्पो० नं० 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज फरमाया जावे। बसूरत दीगर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित फरमाया जावे कि अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादीगण अपीलान्टान को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें। तनकी कायम कर व वादगण रेस्पो० के गवाहान से प्रतिवादीगण अपीलान्टान को जिरह करने का, अपनी ओर से शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर बाद समाअत बहस नये सिरे से पुनः दावे का निर्णय पारित करे। अन्य सहायता जो न्याय संगत हो प्रतिवादीगण अपीलांटगण को प्रदान करने का निवेदन किया। अंत में अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर

1960 मद्रास पेज 391–393, आर आर डी 1980 पेज 168–172, आर आर डी 1984 पेज 711–713 पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.1977 खारिज फरमाने के लिए निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सर्वप्रथम अपील को मियाद के बिन्दु पर निर्णित किया जाना चाहिए। यह अपील माननीय न्यायालय में लगभग साढ़े तीन वर्ष पश्चात पेश की गई है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस भी तामील हुए थे तथा इनके अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से अण्डरटेकिंग भी दी थी। तामील नोटिस पर स्वयं अपीलांट प्रकाश के हस्ताक्षर अंकित है तथा शेष दो नोटिस इनके सगे भाई ने प्राप्त कर इनको सूचित किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांट को नोटिस तामील हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की। अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन झूठे व मनगढ़न्त है। तथा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि हमारी जानकारी के बिना अधीनस्थ न्यायालय ने उनकी ओर से एक अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई । अधिवक्ता अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय के अध्विक्ता के विरूद्ध यह कथन विश्वसनीय नहीं है। क्या अपीलांट ने सम्बंधित एडवोकेट के विरूद्ध कोई कार्यवाही की? क्या सम्बंधित एडवोकेट श्री शरीफ के विरूद्ध कोई शिकायत प्रतिवादी अपीलांट ने कहीं पर की है? ऐसा कोई कथन या दस्तावेज अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं किया है। कोई अधिवक्ता स्वयं के स्तर पर किसी न्यायालय में पक्षकार की अण्डरटेकिंग क्यों देगा? यह अपीलांट की झूठी व मनगढ़न्त कहानी है। जहां तक वादी एंव पक्षकारों के हिस्से का सवाल है, तो वादी ने तो अधीनस्थ न्यायालय में अपने वैधानिक हिस्से के अनुसार ही अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड के अनुसार ही प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा दौराने बहस अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। साधारण आचांर सहिंता के आर्डर 41 नियम 3 ए के तहत सर्वप्रथम मियाद को बिन्दु को निर्णित करना उचित होगा। अपीलांट प्रार्थी ने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि उन्हें प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.01.2022 को हुई। अपीलांट का यह भी कथन है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस तामील नहीं हुए तथा उन्होने कोई अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त नही किया तथा उनकी ओर से अधिवक्ता द्वारा दी गई अंडरटेकिंग गलत है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी सं0 1 अपीलांट सं0 3 प्रकाश को स्वयं व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामिल होना स्पष्ट प्रतीत होता है। जहां तक अपीलांट सं. 1 व 2 को तामील होने का प्रश्न है उनके नोटिस रामराज द्वारा लिये गए। रामराज अपीलांट सं0 1 व 2 का भाई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जो आदेशिका दिनांक 22.11.2017 अनुसार प्रतिवादीगण 1 लगायत 14 की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ ने अडरटेकिंग दी तथा आदेशिका पर आगे हस्ताक्षर भी अंकित है। अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने किसी अधिवक्ता को अंडरटेकिंग के लिए नहीं कहा था। नोटिस की अपीलांट सं0 3 को स्वयं तथा अपीलांट सं0 1 व 2 के उनके भाई को दिये गए तथ्य में सभी प्रभूलाल के वारिसान है। प्रभूलाल के अन्य वारिसान भी अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार थे तथा उन्हें भी नोटिस जारी हुए। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि यदि अपीलांट्स की ओर से गलत अंडरटेकिंग अधिवक्ता द्वारा दी गई तो ये उनकी शिकायत करते तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते। वस्तुतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपीलांट्स प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण की समय पर जानकारी हो गई थी तथा वे जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण दिनांक 14.12.2017 को प्रतिवादीगण अपीलांट्स के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी अपीलांट्स का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता कि उन्हे हस्तगत प्रकरण तथा निर्णय एवं डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 03.01.2022 को हुई। प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2018 की है। तथा अपीलांट्स द्वारा दिनांक 11.01.2022 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है। आर.टी.एक्ट. 1955 की धारा 228 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस निर्धारित है। अपीलांट ने लगभग 1243 दिवस पश्चात् अपील प्रस्तुत की है। इतने लम्बे विलम्ब (1243 दिवस) का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण भी अपीलांट्स प्रार्थी बताने में असफल रहे है। लगभग 03 वर्ष 04 माह 25 दिवस की लम्बी अवधि को कण्डोन किए जाने का कोई पर्याप्त कारण हमारे समक्ष नहीं है। अतः अपीलांट्स प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है तथा मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अस्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि केवल वादी के बंटवारे के आदेश दिए गए हैं तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होते। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे का है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारे के आदेश दिए है। वर्तमान में प्रकरण में केवल प्राथमिक डिक्री जारी हुई है तथा अन्तिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट्स बंटवारे के सम्बंध में अपनी आपत्ति तथा पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रख सकता है। जहॉ तक अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने के प्रश्न है तो अपीलांट सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर अपना पक्ष रख कर नियमानुसार निस्तारण करवा सकते है। प्रकरण राजस्व रिकार्ड अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन का आदेश दिया है। अपीलांटस अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व बंटवारे के सम्बंध में अपनी

आपत्ति व पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रख सकते है। अतः हमारे मत में हस्तगत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 2022/15

1. बृजमोहन आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323603
2. शंकरलाल आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323603
3. प्रकाश आत्मज स्व० श्री मोजीराम जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर– 323603

– अपीलान्टगण

बनाम

1. रामफूल आत्मज स्व० श्री रामकुंवार जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी पिन कोड नम्बर– 323603
2. तेजमल आत्मज स्व० श्री रामकुवार जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी पिन कोड नम्बर– 323603
3. सूरजमल आत्मज स्व० श्री रामकुंवार जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बूंन्दी पिन कोड नम्बर– 323603
4. श्रीमती शांति बाई पुत्री स्व० श्री रामकुंवार जी पत्नी श्री गिरिराज जी जाति मीणा निवासी हाल ग्राम सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी पिन कोड नम्बर 323802
5. श्रीमती लाड बाई पुत्री स्व० श्री रामकुंवार जी पत्नी श्री मनफूल जी जाति मीणा निवासी रेल्वे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर 323603
6. श्रीमती लाली बाई पुत्री स्व० श्री रामकुंवार जी पत्नी श्री किशनगोपाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम टोकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर 323614
7. श्रीमती द्वारका बाई पुत्री स्व० श्री मौजीराम जी पत्नी श्री लेख राज जी जाति मीणा निवासी ग्राम पीपर तहसील लाखेरी जिला बून्दी पिन कोड नम्बर 323616
8. छीतर आत्मज श्री जगन्नाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम धानुगांव तहसील नैनवां जला बून्दी पिनकोड नम्बर–323801
9. श्रीमती सौना बाई पुत्री श्री छीतर जी आत्मज श्री हंसराज जी जाति मीणा निवासी ग्राम कोला हेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी पिनकोड नम्बर 323802
10. श्रीमती चांद बाई पुत्री श्री छीतर जी, पत्नी श्री घनश्याम जी जाति मीणा निवासी ग्राम चाणदा खुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पिनकोड नम्बर–323614

11. रामराज आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर- 323603
12. पूरजी आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर- 323603
13. रमेश आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी हाल कृष्णा विहार, माल की ढाणी, सागानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर पिन कोड नम्बर- 302029
14. केवी शंकर आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर- 323603
15. प्रहलादी पुत्री स्व० श्री प्रभुलाल जी पत्नी श्री श्योजी लाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम खजूरी तहसील नैनवां जिला बून्दी पिन कोड नम्बर- 323616
16. प्रकाशी पुत्री स्व० श्री प्रभुलाल जी पत्नी श्री गोपीलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम गाड़रिया तहसील नैनवा जिला बून्दी पिन कोड नम्बर- 323802
17. श्रीमती सोसर बाई पत्नी स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पिन कोड नम्बर- 323603
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ़ जिला कोटा

– रेस्पोडेन्टगण

वाद पत्र संख्या: 19/बावा/2017

1. रामफूल आत्मज स्व० श्री रामकुंवार जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. तेजमल आत्मज स्व० श्री रामकुवार जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. सूरजमल आत्मज स्व० श्री रामकुंवार जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
4. श्रीमती शांति बाई पुत्री स्व० श्री रामकुंवार जी पत्नी श्री गिरिराज जी जाति मीणा निवासी हाल ग्राम सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी
5. श्रीमती लाड बाई पुत्री स्व० श्री रामकुंवार जी पत्नी श्री मनफूल जी जाति मीणा निवासी रेल्वे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
6. श्रीमती लाली बाई पुत्री स्व० श्री रामकुंवार जी पत्नी श्री किशनगोपाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम टोकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

– वादी

बनाम

1. प्रकाश आत्मज स्व० श्री मोजीराम जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

2. द्वारका बाई पुत्री स्व० श्री मौजीराम जी पत्नी श्री लेख राज जी जाति मीणा निवासी ग्राम पीपर तहसील लाखेरी जिला बून्दी
3. छीतर आत्मज श्री जगन्नाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम धानुगांव तहसील नैनवां जला बून्दी
4. श्रीमती सौना बाई पुत्री श्री छीतर जी आत्मज श्री हंसराज जी जाति मीणा निवासी ग्राम कोला हेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी
5. श्रीमती चांद बाई पुत्री श्री छीतर जी, पत्नी श्री घनश्याम जी जाति मीणा निवासी ग्राम चाणदा खुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
6. रामराज आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
7. मुरली आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
8. रमेश आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी हाल कृष्णा विहार, माल की ढाणी, सागानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
9. बृजमोहन आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
10. शंकरलाल आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
11. देवी शंकर आत्मज स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
12. प्रहलादी पुत्री स्व० श्री प्रभुलाल जी पत्नी श्री श्योजी लाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम खजूरी तहसील नैनवां जिला बून्दी
13. प्रकाशी पुत्री स्व० श्री प्रभुलाल जी पत्नी श्री गोपीलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम गाड़रिया तहसील नैनवा जिला बून्दी
14. श्रीमती सोसर बाई पत्नी स्व० श्री प्रभुलाल जी जाति मीणा निवासी माल की झोंपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त प्रार्थना पत्र संख्या 19/दावा/2017 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2018** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 29.09.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता, रेस्पोडेन्ट कम 03 लगायत 05 की ओर से श्री सुरेश वर्मा के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2018 बहाल रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

4. यह डिक्री आज तारीख 29.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा